1964, on the subject is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT-4705/65].

(b) 14,233 Central Government employees passed the Pragya examination during 1964. It is not possible to give at this stage the precise number who would be eligible for grant of advance increment in terms of the orders issued on the subject.

Preservation of Ajanta and Ellora Paintings

1200. Shri Narendra Singh Mahida: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether there is deterioration in the paintings of Ajanta and Ellora caves;

(b) whether a UNESCO Mission, which recently toured India, has recommended the use of modern techniques for the preservation of murals and sculptures of Ajanta and Ellora caves; and

(c) if so, the action Government propose to take in the matter?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) There has been no deterioration in the paintings since the Government of India took charge of the paintings in 1953.

(b) Yes, but the recommendations are for the preservation of paintings only.

(c) Appropriate action is being taken n respect of the paintings.

गवेषणा के लिए छात्रवृत्तियां

1201. श्री ज्ञा० प्र० ज्योतिषी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के भिन्न-भिन्न विभागों में, जिनको गत वर्ष छात्रवृत्तियां दी गई थीं, किन-किन विषयों की गवेषणा की गई,

1073 (Ai) LSD—3.

(ख) प्रत्येक विभाग के लिए कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां दी गई और उन पर पृथक्-पृथक् कितनी राशि व्यय हुई,

(ग) क्या यांत्रिक शोधों के लिए भी कोई छात्रवृत्तियां दी गई थीं, और

(घ) यदि हां, तो जिन संस्थाओं में इस प्रकार का आविष्कार तथा शोध कार्य किया जा रहा है उनके नाम क्या है और गत तीन वर्षों में वहां क्या-क्या उपयोगी शोध कार्य किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र में पेट्रो-कैमिकल उद्योग

1202. { श्री दे० शि० पाटिल :
श्री कोल्हे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में पैट्रो-कैमिकल उद्योगों में सहयोग देने के सम्बन्ध में विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) कितने निर्माताओं ने लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) 14 ।

(ग) जी हां ।

(घ) 6 मामलों में मंजूरी दी गई, 5 को रद्द किया गया और 3 अवलिम्बत है ।

सरकारी नौकरियों में भर्ती

1203. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के मामले में गावों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा शहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे उनकी अर्हतायें समान हों; और

(ख) यदि हां, तो यह भेदभाव दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं । संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता । इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को अन्य बातों के साथ-साथ जन्म स्थान अथवा रिहाइश के आधार पर किसी भी सरकारी पद अथवा नियुक्ति के लिये न तो अपात्र ही माना जायेगा और न ही उसके साथ भेद-भाव का बर्ताव होगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन

1204. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के कारण संघ राज्य क्षेत्रों में वार्षिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई और इस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति किस प्रकार की जाती है ;

(ख) क्या इन संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था सम्बन्धी वर्तमान कानून में कठिनाइयों को दूर करने और उसमें सुधार करने के लिये कोई संशोधन विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तथा संशोधन विधेयक कब तक संसद् में प्रस्तुत किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा गोआ, दमन और दीव तथा पांडीचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में लोकतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने के कारण इन क्षेत्रों के इस वर्ष के व्यय में विधान सभाओं के मंत्रियों तथा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के वेतन के लिये की गई व्यवस्था के रूप में होने वाला व्यय इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

हिमाचल प्रदेश	6.39
मनीपुर	4.91
त्रिपुरा	5.20
गोआ, दमन और दीव	5.26
पांडीचेरी	4.52

इस के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा में विधान सभाओं की स्थापना से पूर्व जो क्षेत्रीय परिषदें थीं उनकी समाप्ति से कुछ बचत हुई है । 1963–64 में इन परिषदों के अध्यक्ष तथा सदस्यों